भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1654
दिनांक 30 जुलाई,2025/श्रावण 08,1947 (शक) को उत्तरार्थ

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

1654. श्री धर्मेन्द्र यादवः

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) के अध्यक्ष सहित उसके कुल कितने सदस्य हैं;

(ख) ट्राई के सदस्यों का श्रेणीवार (अनारक्षित, अन्य पिछडा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति) ब्यौरा क्या है और उनकी श्रेणियों के अनुसार उनका प्रतिशत कितना है;

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त अध्यक्ष/प्रमुखों की संख्या और प्रतिशत का श्रेणीवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) ट्राई में वर्तमान में कार्यरत सभी श्रेणियों के अधिकारियों (समूह 'क', 'ख', 'ग', संविदात्मक, आउटसोर्स किए हुए, परामर्शदाता/सलाहकार, आदि) का समग्र प्रतिशत का श्रेणीवार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

(क) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण में एक अध्यक्ष, दो पूर्णकालिक सदस्य और दो अंशकालिक सदस्य होते हैं।

(ख) वर्तमान में, ट्राई में दो पूर्णकालिक सदस्य और दो अंशकालिक सदस्य हैं। चूँकि ये पद मौजूदा आरक्षण नियमों के दायरे में नहीं आते, इसलिए इसकी श्रेणी-वार जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ग) ट्राई के अध्यक्ष की नियुक्ति वर्ष 2024 में हुई थी। चूँकि ट्राई में अध्यक्ष का पद मौजूदा आरक्षण नियमों के दायरे में नहीं आता है इसलिए इसकी श्रेणी-वार जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(घ) इसकी वांछित जानकारी संलग्न अनुबंध-I में दी गई है।

अनुबंध -I

लोक सभा के दिनांक 30.07.2025 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1654 के भाग (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध-I

ट्राई में कार्यरत कार्मिकों का विवरण

क्र. सं.	समूह	वर्तमान में ट्राई में कार्यरत			ट्राई संवर्ग कार्मिकों का श्रेणी-वार विवरण							
					अनारक्षित		ओबीसी		एससी		एसटी	
		ट्राई संवर्ग के कर्मचारी	प्रतिनियुक्ति पर	कुल	कुल	प्रतिशत*	कुल	प्रतिशत*	कुल	प्रतिशत*	कुल	प्रतिशत*
1	समूह 'क'	64	59	123	51	79.7	5	7.8	7	10.9	1	1.6
2	समूह 'ख'	63	22	85	38	60.3	18	28.6	7	11.1	0	0.0
3	समूह 'ग'	21	0	21	9	42.9	2	9.5	10	47.6	0	0.0
	समग्र	148	81	229	98	66.2	25	16.9	24	16.2	1	0.7

- *प्रतिशत की गणना ट्राई संवर्ग के कार्मिकों के आधार पर की गई है क्योंकि मौजूदा आरक्षण नियम प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्तियों पर लागू नहीं होते हैं।
- उपरोक्त के अतिरिक्त, कुल 58 संविदा कर्मचारियों (रिसर्च एसोसिएट, यंग प्रोफेशनल्स एवं परामर्शदाता) को अस्थायी आधार पर नियुक्त किया गया है जो ट्राई के पे रोल पर कार्यरत हैं। संविदा कर्मचारियों का श्रेणी-वार विवरण नहीं रखा जाता है क्योंकि वर्तमान आरक्षण नियम संविदा आधार पर नियुक्तियों पर लागू नहीं होते हैं।

*****